UPMP010013112026

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02717

सत्र परीक्षण संख्याः–Gst/573B/2012

राज्य

बनाम

चन्द्रशेखर पुत्र साहब निवासी नगरिया हाल कृष्णानगर थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

अपराध संख्या –3082/2008
धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना– कोतवाली, **जिला**–मैनपुरी।

अभियोजक	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	अभियोजन अधिकारी (दाण्डिक)
अभियुक्त	चन्द्रशेखर
प्रतिनिधित्व	अधिवक्ता चन्द्रशेखर
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	25.11.2008
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	18.01.2010
आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	23.04.2010
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	25.02.2013
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	25.02.2013
धारा 313 दं.प्र.सं. का बयान की तिथि	04.07.2026
निर्णय की तिथि	16.07.2026

अभियोजन साक्षियों की सूची :–

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी.डब्लू. 1	प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर	वादी मुकदमा
पी.डब्लू. 2	कां. 572 हरीशरन	चिक एफ.आई.आर व जी.डी लेखक
पी.डब्लू. 3	वी.पी मलिक	विवेचक
पी.डब्लू.4	वीरेश	वादी मुकदमा (मु.अ.सं. 112/2006 व एन.सी.आर 372/2008)
पी.डब्लू.5	देवेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा (मु.अ.सं 17/2006)

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रकार
1.	प्रदर्श क– 1 / पी.डब्लू. 1	गैंगचार्ट
2.	प्रदर्श क– 2/ पी.डब्लू. 2	चिक एफ.आई.आर
3.	प्रदर्श क– 3 / पी.डब्लू. 2	जी.डी
4.	प्रदर्श क–4 / पी.डब्लू. 3	आरोप पत्र

<u>निर्णय</u>
(आज दिनांक 16.07.2026 को उद्घोषित)

1– पुलिस थाना कोतवाली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 3082/2008 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीवान सिह, चन्द्रशेखर व जितेन्द्र के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात प्रेषित किये गये आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु गैंगस्टर वाद संख्या 573/2013 योजित किया गया। अभियुक्त दीवान सिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर उसकी पत्रावली मूल पत्रावली से आदेश दिनांकित 19.09.2016 के अनुपालन में पृथक की गयी तथा उसके पश्चात अभियुक्त चन्द्रशेकर की पत्रावली को भी आदेश दिनांकित 23.03.2006 के अनुपालन में मूल पत्रावली से पृथक कर गैंगस्टर वाद संख्या 273 बी/2012 के रूप में योजित की गयी जिसमें मात्र अभियुक्त चन्द्रशेखर पर लगाये गये आरोप का विचारण किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि तत्कालीन एस.एच.ओ दयाशंकर सिंह थाना कोतवाली मैनपुरी ने दिनांक 25.11.2008 को जुबानी सूचना के आधार पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराय कि "एस.एच.ओ दयाशंकर सिंह मय हमराही कां. 768 अवनेन्द्र मिश्रा, कां. अजयपाल मय जीप सरकारी चालक कमलेश कुमार के साथ थाना से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी ग्राम अंगौथा व नगरिया से वापस आया इलाका थाना क्षेत्र में मामूर था, तो ज्ञात हुआ कि गैंगलीडर दीवान सिंह पुत्र साहब सिंह यादव निवासी नगरिया व उसके साथी चन्द्रशेखर पुत्र साहब सिंह, जितेन्द्र पुत्र दीवान सिंह एक शातिर किस्म के अपराधी है जिनका धन्धा हत्या जैसे जघन्य अपराध करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करते हैं। उनका एक सुनियोजित गैंग है, जो समाज में भय व्याप्त करते है एवं भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों में लिप्त है। उनका जनता में भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है, जनता के लोग अपने आपको असुरक्षित समझते हैं। मेरी राय में इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अभियुक्त दीवान सिंह व चन्द्रशेखर, जितेन्द्र का गैंगचार्ट अनुमोदन क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दिनांक 06.11.2008, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा दिनांक 07.11.2008 व जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा दिनांक 07.11.2008 को किया जा चुका है। अभियुक्त चन्द्रशेखर का आपराधिक इतिहास निम्न है।

1– मुकदमा अपराध संख्या 112/2008 धारा 302 भा.दं.सं थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

2– मुकदमा अपराध संख्या 17/2006 धारा 147,148,149,307,504,506 भा.दं.सं थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

3– एन.सी.आर संख्या 372/2008 धारा 504,506 भा.दं.सं थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

उपरोक्त गैंगलीडर व सहयोगियों का आम जनता के बीच स्वतंत्र व स्वछन्द रहना जनहित में नहीं है। अतः इनके विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करना आवश्यक है।

3– वादी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 3082/2008, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्तगण दीवान सिंह, चन्द्रशेखर व जितेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसका खुलासा जी.डी संख्या 40 समय 18.30 दिनांक 25.11.2008 को किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्तगण व गवाहान के बयान अंकित किये तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त की एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

4– यह पत्रावली दिनांक 21.04.2012 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) जनपद आगरा से जनपद न्यायालय मैनपुरी को स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त हुई।

5– दिनांक 25.02.2013 को अभियुक्तगण चन्द्रशेखर, दीवान सिंह एवं जितेन्द्र के विरूद्ध धारा 2/3 उ.प्र गिरोहाबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(A) साक्षी पी.डब्लू.01 निरीक्षक दयाशंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया किः– दिनांक 25.11.2008 को मैं थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के पद पर तैनात था। उस दिन मैं, हमराहियों के साथ देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी मामूर था, कि सूचना मिली की दीवान सिंह, चन्द्रशेखर, जितेन्द्र का एक गिरोह है, उनका क्षेत्र में काफी भय व आतंक व्याप्त है। उनके गिरोह के विरूद्ध अपराध संख्या 112/2006 धारा 302 भा.दं.सं, अपराध संख्या 17/2006 धारा 147,147,307,504,506 भा.दं.सं व एन.सी.आर संख्या 372/2008 धारा 504,506 भा.दं.सं थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत है। मेरे द्वारा इस गैंग का गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 दिनांक 06.11.2008 को तैयार किया तथा गैंगचार्ट को क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक के द्वारा संस्तुति दी गयी तथा जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा अनुमोदन किया गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दीवान सिंह के विरूद्ध अपराध सँख्या 112/2006 धारा 302 भा.दं.सं थाना कोतवाली पर दर्ज था। स्पष्टतया उक्त मुकदमें के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया। मुझे यह पता नहीं है कि उस मुकदमें में क्या हुआ परन्तु पत्रावली पर सत्र परीक्षण संख्या 198/2007, अपराध सँख्या 112/2006 दीवान सिंह अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं का निर्णय दाखिल है, जिसमें दिनांक 11.09.2007 को फास्ट ट्रैक कोर्ट नं 02 में दीवान सिंह को दोषमुक्त किया जा चुका है।

अन्य कोई उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष नहीं आयी।

(B) **साक्षी पी.डब्लू.02 कां. 572 हरीशरन द्वारा कथन किया गया कि** दिनांक 25.11.2008 को मैं थाना कोतवाली मैनपुरी में कां. के पद पर तैनात था। उस दिन मैं एस.एच.ओ श्री दयाशंकर की सूचना जुबानी के आधार पर मुकदमा अपराध सँख्या 3082/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया तथा इस मुकदमें की चिक प्राथमिकी प्रदर्श क–2 एवं मुकदमा का खुलासा जी.डी प्रदर्श क–3 अपने लेख व हस्ताक्षर में किया जाना प्रमाणित करते हुये साबित किया है।

कोई भी उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायलय के समक्ष नहीं आया।

(C) **साक्षी पी.डब्लू.03 वी.पी मलिक प्रभारी मानवाधिकार प्रकोष्ट एस.एस.पी कार्यालय नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर ने बयान किया कि** मैं थाना कोतवाली मैनपुरी में सन् 2009 से 2010 तक एस.एस.आई के पद पर तैनात रहा था। मुकदमा अपराध संख्या 3082/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मैनपुरी की विवेचना पूर्व विवेचक एस.एस. आई जगतपाल सिंह से ग्रहण की थी। विवेचना ग्रहण करने के बाद अभियुक्त चन्द्रशेखर, जितेन्द्र के गिरफ्तार न होने पर न्यायालय से धारा –82,83 दं.प्र.सं का आदेश प्राप्त किया तथा उनकी सम्पत्ति कुर्क की। तदोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र प्रदर्श क–4 अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रस्तुत किया ।

कोई भी उल्लेखनीय कथन उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में न्यायलय के समक्ष नहीं आया।

(D) **साक्षी पी.डब्लू.4 वीरेश ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया कि** दिनांक 12.02.2006 को मैं अपने छोटे भाई शिववीर उर्फ हम्मीर के साथ अपने खेत से पानी लगाकर घर आ रहा था, दिन के करीब 02 बजे जब हम लोग दीवान सिंह के घर के सामने पहुंचे तो अभियुक्तगण दीवान सिंह, चन्द्रशेखर, जितेन्द्र व अवधेश ने हम दोनों भाइयों को पकड़ लिया और खींचकर घर के अन्दर ले गये थे। हम दोनों ने अभियुक्तगणों से छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो दीवान सिंह का लड़का जितेन्द्र ने अपने पिता की लाइसेन्सी रायफल से जान से मारने की नीयत से फायर किया जो मेरे भाई शिववीर को लगी तो उसको लेकर मैं जिला अस्पताल आया था, वहां से आगरा के लिये रेफर कर दिया गया तो आगरा जाकर मेरे भाई की मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की रिपोर्ट एक तहरीर देकर उसी दिन मैंने कोतवाली मैनपुरी में लिखायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न पत्रावली कागज संख्या 8 व /5 लगायत 8 व /6 है। हत्या के मामले के विचारण के दौरान अभियुक्तगण दीवान सिंह, चन्द्रशेखर व जितेन्द्र ने दिनांक 06.11.2008 को दिन के 11.30 बजे हत्या के मामले में राजीवाजी करने के लिये मुझसे गाली गलौज की साथ में जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना कोवताली मैनपुरी पर दिनांक 06.11.2008 को लिखवायी थी। एन.सी.आर 372/2008 की छायाप्रति संलग्न पत्रावली कागज संख्या 8 व/7 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वादी मुकदमा थाना कोतवाली की पुलिस थी। मेरा कोई बयान गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में नहीं लिया था और न ही इस तरीके की कोई पूछतांछ की थी। यह बात गलत है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध करके आर्थिक लाभ अर्जित नहीं करता है। अभियुक्त चन्द्रशेखर का किसी भी प्रकार का संगठित गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही संगठित गिरोह में सक्रिय है और न ही जनता में भय व आतंक व्याप्त किये हुये हैं, वह मैनपुरी में रहकर साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते है। राजनीतिक कारणों के कारण इनका नाम कैसे लिखा दिया गया इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता। मु०अ०सं० 112/2006 धारा 302 भा.दं.सं थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का मुकदमा मा. उच्च न्यायालय से Quash दिनांक 12.11.2025 को क्रिमीनल अपील संख्या 2341/2008 कर दिया गया। एन.सी.आर नं. 372/2008 धारा 504, 506 भा.दं.सं थाना कोतवाली मैनपुरी पर दर्ज करायी गयी है। उसमें न तो विवेचना की गयी है और न ही मा. न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी है।

(E) साक्षी पी.डब्लू.5 देवेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया कि मेरी तथा दीवान सिंह की प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी क्योंकि मेरी मां कमला देवी प्रधानी का चुनाव जीत गयी थी तथा दीवान सिंह चुनाव हार गये थे, तब से दीवान सिंह हमसे रंजिश मानने लगा। दिनांक 05.01.2006 को मैं व मेरा भाई धर्मेन्द्र अपने गांव को गये थे। हमारे गांव के दीवान सिंह पुत्र साहब सिंह , चन्द्रशेखर पुत्र साहब सिंह, जितेन्द्र पुत्र दीवान सिंह, उदयवीर पुत्र वदन सिंह, सतेन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासीगण नगरिया व वकील पुत्र रामकरन निवासी गुटैया थाना कुर्रा व सुनील पुत्र विजय सिंह निवासी जगतपुर तथा सुशील पुत्र थान सिंह उतैत शाम के करीब 05 बजे मुझे देखते ही मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये बोले साला बड़ा नेता बनता है, मैंने गाली देने से मना किया तो सभी मुल्जिमान एक राय होकर अपने हाथ में लिये रायफल से जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया जिससे मैं बाल-बाल बचा, इस घटना को गांव सत्यवीर व अन्य लोगों ने देखा तथा बचाया। इस घटना की एक तहरीर लिखकर मैंने उसी दिन थाने पर दी थी, तब अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मुकदमा कायम हुआ, प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8 क के रूप में संलग्न है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वादी मुकदमा थाना कोतवाली की पुलिस थी। मेरा कोई बयान गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में नहीं लिया था और न ही इस तरीके की कोई पूंछताछ की थी। यह बात गलत है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध करके आर्थिक लाभ अर्जित नहीं करता है। अभियुक्त चन्द्रशेखर का किसी भी प्रकार का संगठित गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही संगठित गिरोह में सक्रिय है और न ही जनता में भय व आतंक व्याप्त किये हुये है, वह मैनपुरी में रहकर साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। राजनीतिक कारणों के कारण इनका नाम कैसे लिख दिया गया इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता। मु.अ.सं. 17/2006 धारा 147, 148, 149, 504, 506 भा.दं.सं थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का मुकदमा छूट चुका है। एन.सी.आर नं. 372 /2008 धारा 504, 506 भा.दं.सं थाना कोतवाली मैनपुरी पर दर्ज

करायी गयी है उसमें न तो विवेचना की गयी है और न ही मा. न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी है।

6– तदनुसार अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया एवं अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं अंकित करने हेतु आहुत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त ने आरोप के सम्बन्ध में कथन किया कि उक्त सभी मुकदमें प्रधानी रंजिश के झूठे लिखाये गये हैं। साक्षी पी.डब्लू 01 दयाशंकर की साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि राजनैतिक दबाव में मुकदमा लिखाया गया था, साक्षी पी.डब्लू.2 कां. 572 हरीशरन की साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि राजनैतिक दबाव में एफ.आई.आर दर्ज करायी गयी थी, साक्षी पी.डब्लू.3 वी.पी. मलिक के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी है, साक्षी पी.डब्लू.4 वीरेश के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी है जो भी गवाही दी वह राजनैतिक दबाव में दी है, साक्षी पी.डब्लू.5 देवेन्द्र सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है, मुकदमा राजनैतिक दबाव से चलने का कथन किया और कुछ कहने से इंकार किया।

7– बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में गैंगस्टर वाद संख्या 573 ए/2012 के निर्णय आदेश दिनांकित 24.01.2017 की सत्यापित छायाप्रति दाखिल की गयी, मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 अन्तर्गत धारा 302, 24 भा.दं.सं को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 12.11.2025 में Quashed कर दिया जिसके अनुक्रम में न्यायालय सी.जे.एम, मैनपुरी द्वारा दिनांक 08.01.2026 को समस्त कार्यवाही समाप्त की गयी के आदेश की छायाप्रति दाखिल की गयी व आपराधिक वाद संख्या 4340/2012 राज्य बनाम चन्द्रशेखर, मु.अ.सं. 17/2006 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 504, 506 थाना कोतवाली, मैनपुरी के निर्णय आदेश दिनांकित 20.09.2007 की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं।

8– विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्षीयों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करके अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर हिंसा, हिंसा की धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के आश्य से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल) आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध कारित किया है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं थाना कोतवाली, मु.अ.सं. 17/2006 धारा 147, 148, 149, 504, 506 व 307 भा.दं.सं व एन.सी.आर 372/2008 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा.दं.सं पंजीकृत किये गये थे। इन्हीं आधारों पर विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर को दोष सिद्ध करने का कथन किया गया है।

9– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा इस बावत की अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर अपराध उपरोक्त करके आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त किया जाता है या अभियुक्त के गिरोह के कारण जनता में भय व्याप्त है ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध तीन मुकदमें,

मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं , मु.अ.सं. 17/2006 धारा 147, 148, 149, 504, 506 व 307 भा.दं.सं व एन.सी.आर 372/2008 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा.दं.सं पंजीकृत थे। मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील संख्या 2341/2008 में उक्त प्रकरण में समस्त कार्यवाही (Quashed) का आदेश दिनांकित 12.11.2025 को पारित किया गया जिसके अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा भी उक्त वाद में समस्त कार्यवाही समाप्त की गयी जिसके आदेश दिनांकित 08.01.2026 की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है एवं मुकदमा अपराध संख्या 17/2006 में अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है, जिसके निर्णय आदेश दिनांकित 20.09.2017 की सत्यापित प्रतिलिपि पत्रावली पर संलग्न की गयी है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त पर एन.सी.आर सं. 372/2008 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा.दं.सं पंजीकृत हुआ था लेकिन उसके पश्चात क्या कार्यवाही की गयी इस सम्बन्ध में कोई प्रपत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उक्त एन.सी.आर के सम्बन्ध में न तो कोई मुकदमा चला और न ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी। उक्त एन.सी.आर भी अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से रंजिशन लिखायी गयी थी। इसके अतिरिक्त मूल मुकदमों के तथ्यों के साक्षियों ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त का न तो कोई गिरोह है और न ही अभियुक्त के द्वारा कभी कोई अपराध कारित किया गया था एवं अभियोजन द्वारा भी अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई संगठित गिरोह नहीं है, जिस कारण उसे गैंगस्टर मानकर उसको गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध किया जाये। इन्हीं आधारों पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कथन किया गया है।

10– अभियुक्त पर आरोप है कि वह गिरोहबन्द है और उसने अपने व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से हिंसा व हिंसा की धमकी प्रदर्शन, अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा अन्य प्रकार से लोक व्यवस्था को अस्त करने के आशय से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये अनुचित दुनियावी(टैम्पोरल) आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जिला मैनपुरी की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत समाज विरोधी क्रिया कलाप किये गये है जिनके क्रम पर गैंगचार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं थाना कोतवाली, मु.अ.सं. 17/2006 धारा 147, 148, 149, 504, 506 व 307 भा.दं.सं व एन.सी.आर 372/2008 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा.दं.सं पंजीकृत हैं।

11– *अतः अब न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त रूप से संदेह की सीमा से परे साबित किया गया है ?*

निष्कर्ष

12– उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा **2 ख** के अनुसार–

"गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियो के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते है–

1–भा0 द 0 सं0 1860 के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, या

2–.................................।"

उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा **2 ग** के अनुसार–

''गिरोह बंद का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड में प्रगणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिये चाहे ऐसे क्रिया कलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।''

इस प्रकार गिरोह की परिभाषा की अपेक्षा है कि–

(क) गिरोह का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है।

(ख) इन व्यक्तियों ने या तो अकेले या सामूहिक रूप से आपराधिक कृत्य हो

(ग) ऐसे कृत्य में हिंसा या धमकी या अभित्रास या प्रपीडन का प्रदर्शन हो।

(घ) ऐसे कृत्य लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से किये हो।

13– अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये गैंगचार्ट के अन्तर्गत तीन मुकदमें दर्शाये गये हैं, मुकदमा अपराध संख्या 112/2006 धारा 302,34 भा.दं.सं, मुकदमा अपराध सँख्या 17/2006 धारा 147,148,149,504,506,307 भा.दं.सं व एन.सी.आर 372/08 धारा 504,506 भा.दं.सं। उक्त मुकदमों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा मुकदमा अपराध सँख्या 112/2006 धारा 302,34 भा.दं.सं के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.01.2026 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है जिसके अनुसार उक्त मुकदमें की समस्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 12.11.2025 के माध्यम से समाप्त (Quashed) की जा चुकी है। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 17/2006 धारा 147,148,149,504,506,307 भा.दं.सं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट तो उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत की गयी थी किन्तु बचाव पक्ष द्वारा पत्रावली पर दाखिल निर्णय आदेश दिनांकित 20.09.2017 की सत्याप्ति प्रतिलिपि के अनुसार उक्त मुकदमें में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मात्र धारा 147,148,149,504,506 भा.दं.सं के अन्तर्गत प्रेषित किया गया था एवं उक्त मुकदमें में भी अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। एन.सी.आर 372/2008 के सम्बन्ध में बचाव पक्ष का तर्क है कि उक्त एन.सी.आर झूठी दर्ज करायी गयी थी जिस कारण उसमें न तो कोई विवेचना की गयी और न ही कोई आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न तो अभियोजन द्वारा उक्त एन.सी.आर के सम्बन्ध मे कृत कार्यवाही का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त एन.सी.आर के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रपत्र पत्रावली पर पत्रावलित है। उक्त मुकदमों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई भी अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शित किये गये मुकदमों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या 112/06 में सम्पूर्ण कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद द्वारा समाप्त की जा चुकी है एवं मुकदमा अपराध संख्या 17/06 के अन्तर्गत अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है एवं एन.सी.आर सं. 372/08 में किसी भी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों के आधार पर अभियुक्त पर आपराधिक प्रवृत्ति का

व्यक्ति होने एवं उसके संगठित गिरोह होने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता हैं।

13.1– इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों के रूप में कुल पांच साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से हस्तगत प्रकरण के वादी मुकदमा एस.एच.ओ दयाशंकर सिंह द्वारा पी.डब्लू.01 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि उन्हें थाना क्षेत्र से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दीवान सिंह के संगठित गिरोह का सदस्य है, जो हत्या जैसे जघन्य अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करता है एवं उक्त गैंग का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इसके पश्चात उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों का अंकन कराते हुये उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का कथन किया है। उक्त साक्षी के साक्ष्य के सम्बन्ध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय हो जाता है कि उक्त साक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कथन नहीं किया गया कि उसे किस माध्यम या किस व्यक्ति से अभियुक्त के गिरोह होने के सम्बन्ध में पता चला, पुनः उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि मु.अ.सं. 112/06 थाना कोतवाली पर दर्ज था एवं स्पष्टतया उसी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया। उक्त साक्षी के उक्त कथन से यही प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही उसके विरूद्ध पूर्व से पंजीकृत मुकदमों मात्र के आधार पर की गयी थी एवं उक्त मुकदमों के सम्बन्ध में न्यायालय पूर्व में ही विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल चुका है कि उक्त मुकदमों में पारित निर्णय आदेशों के अनुक्रम में या तो अभियुक्त के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त कर दी गयी या अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया एवं एन.सी.आर में कोई अग्रिम कार्यवाही की ही नहीं गयी। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त को दीवान सिंह के गिरोह के सदस्य बताया गया है एवं हस्तगत प्रकरण में दीवान सिंह की पत्रावली पूर्व में ही पृथक की गयी जिसके निर्णय आदेश दिनांकित 24.01.2017 के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा दीवान सिंह को गैंगस्टर एक्ट के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त किये गये सभी विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होते हैं।

13.2– साक्षी **पी.डब्लू.**2 हरिशरन हस्तगत प्रकरण का एफ.आई.आर व जी.डी लेखक है एवं **पी.डब्लू.**03 वी.पी मलिक हस्तगत प्रकरण का विवेचक है। उक्त दोनों साक्षियों ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त के किसी संगठित गिरोह होने या किसी गिरोह का सदस्य होने के सम्बन्ध में न तो कोई कथन किया है और न ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों साक्षियों ने अपना सम्पूर्ण साक्ष्य औपचारिक श्रेणी के साक्षियों की तरह मात्र अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध करने में केन्द्रित किया है। उक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होते है।

13.3– अभियोजन द्वारा **पी.डब्लू.** 4 के रूप में विरेश पुत्र अजगर सिंह जो कि मु.अ.सं. 112/06 एवं एन.सी.आर 372/08 का वादी मुकदमा है एवं उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त दोनों मुकदमों में वर्णित अपराध में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है एवं अभियुक्त की उक्त अपराध कारित करने में स्पष्ट भूमिका बतायी है, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा उसी दिन अंकित की गयी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि न तो अभियुक्त चन्द्रशेखर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और न ही वह कोई अपराध करके आर्थिक लाभ अर्जित करता है और न ही वह किसी गिरोह का सदस्य है और न ही उसका भय व आतंक जनता में व्याप्त है अपितु वह साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करता है तथा साक्षी ने राजनीतिक कारणों के कारण अभियुक्त का नाम कैसे लिखा दिया वह वजह नहीं बता सकता।

इसी प्रकार अभियोजन द्वारा **पी.डब्लू.5** के रूप में मुकदमा अपराध संख्या 17/06 के वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र अहिवरन सिंह को परीक्षित कराया है एवं उक्त साक्षी ने भी पी.डब्लू.4 की तरह ही जहां अपनी मुख्य परीक्षा में उस मुकदमें में वर्णित अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया तो वहीं उसी दिन अंकित की गयी प्रति परीक्षा में अभियुक्त द्वारा किसी भी आपराधिक कृत्य करने या उसका कोई संगठित गिरोह होने के आरोप से पूर्ण रूप से इंकार किया है। सर्वप्रथम तो उक्त दोनों साक्षियों द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा किसी भी अपराध कारित करने या उसका कोई संगठित गिरोह होने के आरोप से पूर्ण रूप से इंकार किया है एवं अभियुक्त को साधारण तरीके से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति बताया गया है तो वही दूसरी ओर जिन मुकदमों के उक्त दोनों साक्षी वादी है उन मुकदमों के सम्बन्ध में पारित आदेशों के अनुक्रम में न्यायालय पूर्व में विश्लेषण कर चुका है। अतः उक्त साक्षियो के साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी प्रकार सिद्ध नहीं होते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त की गयी विवेचना एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये गैंगस्टर के आरोप किसी भी प्रकार स्थापित नहीं हो रहे है।

पुनः किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर का आरोप साबित करने हेतु अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि अभियुक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया है एवं उक्त गिरोह द्वारा अपराध कारित करके या तो आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया गया है या अपराध कारित करके जनता आम में कोई भय व्याप्त कर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा कोई संगठित गिरोह बनाया गया हो या उनके द्वारा कृत अपराध से समाज में कोई भय व्याप्त हुआ हो या लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई हो या अवैध भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया हो। उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये गैंगस्टर के आरोपो पर संदेह उत्पन्न करते है।

14– निर्णय विधि **गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट द्वारा श्री रामपुरम पी0 एस 0 एवं एक अन्य 2012 (78) ए 0 सी0 सी0 545** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि–

''जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है जब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्तगण के ऊपर आरोपित अपराध को युक्ति युक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे।''

15– इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुये दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

जी.एस.टी संख्या 573B/2012 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चन्द्रशेखर, मु.अ.सं. 3082/2008, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी के अर्न्तगत अभियुक्त चन्द्रशेखर को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपील न होने दशा में बाद मियाद अपील व अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विधि अनुसार माल मुकदमाती निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त द.प्र.सं की धारा 437 ए के अर्न्तगत **20,000/–** रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू अन्तर्गत तीन दिवस इस अंडर टेकिंग के साथ दाखिल करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील होती है तो वह स्वयं उपस्थित होगा।

दिनांक–16.07.2026

(स्वपनदीप सिंघल) UP02717
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–5, मैनपुरी।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–16.07.2026

(स्वपनदीप सिंघल) UP02717
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–5, मैनपुरी।

आशुलिपिकः- निपेन्द्र सिंह

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.07.16 17:00:31 +0530